यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः–130/2018 प्रार्थना पत्र
–श्रीमति पुष्पा पत्नि राजेन्द्र गोखरू, उम्र बालिग निवासी 36 मैन सैक्टर, शास्त्रीनगर–भीलवाड़ा
–हाईपर ड्रीम कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड़, 13–भोपालपुरा भीलवाड़ा जरिये डायरेक्टर शिवदत्त पिता
हरीश चन्द्र शर्मा, उम्र बालिग निवासी 12/123 आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
–श्री ईश्वर पिता रामस्वरूप अग्रवाल, उम्र बालिग निवासी6/65, काशीपुरी–भीलवाड़ा तहसील व
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ––––––प्रार्थीगण

बनाम

–श्री जमनालाल पिता गोपाल जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री मांगू पिता माराम जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री नाथू पिता गणेश जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री जगदीश पिता मांगू पारीक, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्रीमति शांता पत्नि कृष्णास्वरूप गुप्ता, उम्र बालिग निवासी 253 गंगा निवास भदादा बाग के पीछे,
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–श्री बलदेव पिता हीरालाल जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री भगवती लाल पिता हीरालाल जाट, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
––––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः–30.01.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–
स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपाहेली
वार हल्का रूपोहली भू–अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी
5/1 रकबा 1 बिस्वा, 715/3 रकबा 1 बिस्वा, 700/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 700/1 रकबा 1
ा 12 बिस्वा, 701/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 697 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 698 रकबा 1 बीघा 4
वा, 701 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 714/1 रकबा 8 बिस्वा, 714 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता
रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के
सी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये
सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की
ाजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
कार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.7.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये
न विपक्षींगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल
ली किये गये । विपक्षीगण उपस्थित नहीं । विपक्षी संख्या 3 की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान
खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का आदेश दिनांक 6.8.2018 को
गये। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं
के कारण 9.1.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक
ा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते
ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपोहली भू—अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 715/1 रकबा 1 बिस्वा, 715/3 रकबा 1 बिस्वा, 700/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 700/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 701/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 697 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 698 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 701 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 714/1 रकबा 8 बिस्वा, 714 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू—अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 1200/—रूपये (एक हजार दो सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner